दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: *16.11.2023*

उद्घोषित: *31.01.2024*

रि.या.(सि.) 10993/2023 और सि.वि.आ. 42616/2023

श्री महेंद्र कुमार खंडेलवाल ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री डी.पी. सिंह, श्री अर्चित सिंह और सुश्री श्रेया दत्त, अधिवक्तागण

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय और अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री ज़ोहेब हुसैन, श्री विवेक गुरनानी, श्री कविश गरच और श्री विवेक गौरव, ई.डी. के लिए अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

निर्णय

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:

> *"i. परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश/आदेश जारी करते हुए यह घोषित करें कि पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 17(4) के तहत दायर मू.आ.सं. 404/2020 वाले मूल आवेदन को अनुमति देने वाले विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 को*

पारित आदेश, पी.एम.एल.ए. की धारा 8(3)(क) के तहत अभियोजन परिवादी द्वारा 365 दिनों के भीतर दावा दायर न करने के कारण दिनांक 11/02/2022 से प्रभावी नहीं रह गया है।

ii. प्रत्यर्थी/ईडी को दिनांक 19/08/2020 और 20/08/2020 के पंचनामा/जब्ती पत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, डिजिटल उपकरणों और सोने और हीरे के आभूषणों को छोड़ने/वापस करने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश/आदेश जारी करें।"

<u>*तथ्यात्मक मैट्रिक्स*</u>

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि कं.अ. सं. (आईबी)-202(पीबी)/2017 में राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, मुख्य न्यायपीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में, "एन.सी.एल.टी.") द्वारा दिनांक 26.07.2017 को पारित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (इसके बाद "बी.पी.एस.एल." के रूप में संदर्भित) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (संक्षेप में, "आईआरपी") के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. दिनांक 01.09.2017 को, बी.पी.एस.एल. के लिए लेनदारों की समिति (संक्षेप में, "सी.ओ.सी.") ने याचिकाकर्ता को बी.पी.एस.एल. के लिए समाधान पेशेवर (संक्षेप में, "आर.पी.") के रूप में नियुक्ति करने की पुष्टि की।

4. दिनांक 16.10.2018 को, सी.ओ.सी. ने भी बी.पी.एस.एल. के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जो मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड द्वारा

प्रस्तुत किया गया था। उक्त योजना को विद्वान एन.सी.एल.टी. द्वारा भी दिनांक 05.09.2019 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5. याचिकाकर्ता का दावा है कि आई.आर.पी. और बी.पी.एस.एल. के आर.पी. के रूप में अपने कार्य के दौरान, याचिकाकर्ता ने बी.पी.एस.एल. के पूर्व संप्रवतर्कों और निदेशकों द्वारा की गई धोखाधड़ी का खुलासा किया, जिसके लिए उसने थानाध्यक्ष., थेलकोलोई पुलिस थाना, जिला-संबलपुर, ओडिशा में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, भा.दं.सं.) की धारा 120-ख सहपठित धारा 419, 420, 465, 467, 468, 469, 471 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने विद्वान एन.सी.एल.टी. के समक्ष धोखाधड़ी और गलत व्यापार के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 (संक्षेप में, "आई.बी.सी.") की धारा 66 के तहत आवेदन भी दायर किया।

6. यह आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली (संक्षेप में, "सी.बी.आई.") ने बी.पी.एस.एल., इसके निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420, 468, 471 और 477क सहपठित धारा 120-ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के तहत किए गए अपराधों के आरोपों पर प्राथमिकी/कि.नि. सं. आर.सी.बी.डी1/2019/ई/0002 दर्ज की। याचिकाकर्ता को न तो प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था और न ही

सी.बी.आई. द्वारा इसकी जांच की गई थी। उक्त प्राथमिकी में न तो उन्हें समन जारी किया गया और न ही जांच में शामिल होने के लिए कहा गया।

7. उक्त प्राथमिकी के आधार पर, प्रत्यर्थी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत दिनांक 25.04.2019 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, "ई.सी.आई.आर.") सं. ई.सी.आई.आर./डी.एल.जेड0-1/02/2019 पंजीकृत किया।

8. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने प्रत्यर्थी द्वारा की गई जांच में विधिवत सहयोग किया है और अधिनियम की धारा 50 के तहत 13.09.2019, 30.09.2019 और 04.10.2019 को उसका बयान भी दर्ज किया गया। उसका दावा है कि उसने बी.पी.एस.एल. के अभिलेख से जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जो बी.पी.एस.एल. के आर.पी. के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करते समय उसकी अभिरक्षा में थे।

9. याचिकाकर्ता ने कहा कि दिनांक 10.10.2019 को अनंतिम कुर्की आदेश, पी.ए.ओ. सं. 11/2019 पारित किया गया, तथा पी.पी.एस.एल. एवं उसके संप्रवतर्कों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 5(5) के तहत 08.11.2019 को न्यायनिणार्यक प्राधिकारी के समक्ष मूल शिकायत सं. 1221/2019 दायर की, जिसमें कुर्क संपत्तियों की पुष्टि की मांग की गई। मूल शिकायत सं. 1221/2019 में कार्यवाही को उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति अपील (कं.) सं.

29327-29328/2019, शीर्षक *लेनदारों की समिति बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य* में दिनांक 18.12.2019 को अपने आदेश के द्वारा रोक लगा दी थी। प्रत्यर्थी ने भी बी.पी.एस.एल. और 24 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अधिनियम की धारा 44 और 45 के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 17.01.2020 को अभियोजन शिकायत प्रति. सं. 01/2020 दायर की; याचिकाकर्ता को उक्त अभियोजन शिकायत में गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था।

10. याचिकाकर्ता का दावा है कि 19 और 20 अगस्त, 2020 को प्रतिवादी ने उपर उल्लिखित ई.सी.आई.आर. के आधार पर याचिकाकर्ता के परिसरों में तलाशी और जब्ती की और याचिकाकर्ता से विभिन्न दस्तावेज, अभिलेख, डिजिटल उपकरण और सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए, जिसका कुल मूल्य 98,677/- रूपये हैं।

11. दिनांक 17.09.2020 को प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 17(4) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष मूल आवेदन संख्या 404/2020 दायर किया, जिसमें तलाशी और जब्ती के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों, अभिलेखों और आभूषणों के प्रतिधारण की पुष्टि की मांग की गई।

12. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 8(3) के तहत दिनांक 10.02.2021 को पारित अपने आदेश द्वारा तलाशी और जब्ती के दौरान प्रत्यर्थी

द्वारा जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों, अभिलेखों और आभूषणों के प्रतिधारण की पुष्टि की।

13. याचिकाकर्ता का दावा है कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ 365 दिनों से अधिक की अवधि तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.04.2023 को एक आवेदन के द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्तियों को वापस करने की मांग की। चूंकि प्रत्यर्थी ने उक्त संपत्ति को वापस नहीं किया न ही याचिकाकर्ता के अनुरोध का कोई जवाब दिया, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहत का दावा करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता की संपत्ति की जब्ती को तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, और हालांकि प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता या उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया है, फिर भी जब्त की गई वस्तुओं को प्रत्यर्थी ने प्रतिधारण किया हुआ है। याचिकाकर्ता, वास्तव में, प्रत्यर्थी के लिए एक गवाह बना हुआ है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8(3)(क) के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति का प्रतिधारण केवल 365 दिनों तक की अवधि के लिए या किसी न्यायालय के समक्ष अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने तक ही रखा जा सकता है। चूंकि

याचिकाकर्ता से जब्त किए गए माल के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है, और न्यायनिणार्यक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की 365 दिनों की अवधि भी समाप्त हो गई है, इसलिए याचिकाकर्ता से जब्त की गई संपत्ति और दस्तावेज याचिकाकर्ता को वापस किया जाना चाहिए।

15. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता से जब्त संपत्ति और दस्तावेजों को आगे भी प्रतिधारण करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिदावा सं. 01/2020 में की गई शिकायत पर भरोसा करना निराधार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब्त की गई संपत्ति को आगे प्रतिधारण करने के लिए, अधिनियम की धारा 8(3)(क) में उल्लिखित आपराधिक कार्यवाही में जब्त की गई संपत्ति या या जिस व्यक्ति से संपत्ति जब्त की गई थी, उसे आरोपी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि "कार्यवाही के लंबित रहने" शब्द को इतना विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8(3)(क) के तहत "कार्यवाही के लंबित रहने" के प्रावधान को लागू करने के लिए, शिकायत याचिकाकर्ता के खिलाफ होनी चाहिए या कम से कम रखी गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग करनी चाहिए। समर्थन में, उन्होंने ***सीमा गर्ग और अन्य बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय***, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन पं. व हरि. 738 में पंजाब अन्य हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8(3) के स्पष्टीकरण पर प्रत्यर्थीगण के भरोसा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अदालत द्वारा जांच पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (अप.) सं. 1342/2020, शीर्षक ***महेन्द्र कुमार खंडेलवाल बनाम भारत संघ और अन्य,*** में दिनांक 28.08.2020 को पारित आदेश के बाद याचिकाकर्ता की संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जिससे प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। प्रत्यर्थी ने तलाशी और जब्ती करने से पहले उक्त आदेश को रद्द करने के लिए भी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब्ती की अवधि बढ़ाने की मांग करने के लिए प्रत्यर्थीगण का उक्त आदेश पर भरोसा करना दुर्भावनापूर्ण है।

प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ

17. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि वर्तमान मामले में, बी.पी.एस.एल. के खिलाफ जी.एस.टी. खुफिया महानिदेशक, भुवनेश्वर (इसके बाद "डी.जी.जी.आई." के रूप में संदर्भित) द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित जांच शुरू करने के संबंध में खुले स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर और बी.पी.एस.एल. के पिछले और वर्तमान प्रबंधन द्वारा तैयार माल को गुप्त रूप से हटाने के लिए, प्रत्यर्थीगण ने डी.जी.जी.आई. द्वारा दर्ज किए गए बयानों के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए हैं। यह पाया गया कि बी.पी.एस.एल. अपने

ओडिशा संयंत्र से कोलकाता और चंडीगढ़ के अपने संयंत्रों में तैयार माल को गुप्त रूप से पहुँचाया था। इस तरह की कुल 58 खेपों को गुप्त तरीके से मंजूरी दी गई थी। इन खेपों का कुल मूल्य 705.39 करोड़ रुपये था, जिसमें से 40.42 करोड़ रुपये मूल्य की तीन खेपों को 26.07.2017 के बाद मंजूरी दी गई थी। यह भी पता चला कि बी.पी.एस.एल., का डेटा ओडिशा सर्वर से हटा दिया गया है। यह आगे नोट किया गया कि श्री एच.सी. वर्मा, 26.07.2017 को समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले, और उसके बाद याचिकाकर्ता, दो मुख्य व्यक्ति थे जो सामान को गुप्त रूप से हटाने के लिए जिम्मेदार थे, जिससे बी.पी.एस.एल. के निधि की हेराफेरी हुई। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, अधिनियम की धारा 17(1) के तहत तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण/फोन/आभूषण बरामद हुए। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को जांच के लिए बुलाया गया था। मूल आवेदन, मू.आ सं. 404/2020, 17.09.2020 को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें जांच के उद्देश्यों के लिए जब्त वस्तुओं को रखने की मांग की गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 10.02.2021 के आदेश के तहत इसकी पुष्टि की। आगे की गई जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता और श्री राजीव गोयल ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधि के द्वारा बी.पी.एस.एल. से 1,73,63,488/- रूपये की राशि की हेराफेरी की थी। तदनुसार, उपरोक्त राशि के बराबर राशि को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05.10.2021 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत अनंतिम रूप से कुर्क

किया गया था। इसी को याचिकाकर्तागण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि.) 11256/2022 शीर्षक *महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम निदेशालय प्रवर्तन,* के रूप में चुनौती दी गई है, जो इस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

18. प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि चूँकि शिकायत अर्थात, प्रतिदावा सं. 01/2020 अधिनियम की धारा 8(3)(क) के धारा के अनुसार विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जब्ती जारी रहेगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश द्वारा, शिकायत, अर्थात, शिकायत मामला सं. 38/2020 पर संज्ञान लिया गया है, विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी को सम्यक अनुक्रम में आगे पूरक शिकायतें दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिकायत पर पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, यह अधिनियम की धारा 8(3)(क) के प्रयोजन के लिए अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित लंबित कार्यवाही के बराबर होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह बात कोई मायने नहीं रखता है कि उक्त अभियोजन शिकायत में याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है या नहीं। समर्थन में, वह निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

क) विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929;

ख) एस.के. सिन्हा बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य (2008) 2 एस.सी.सी. 492;

ग) सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2015) 4 एस.सी.सी. 609;

घ) नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2022) 5 एस.सी.सी. 295;

ङ) प्रदीप एस. वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1140; और,

च) योगेंद्र चंदोलिया बनाम विशेष रवि और अन्य 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 5540।

19. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आपराधिक शिकायत के अलावा, अन्य कार्यवाही भी लंबित हैं, जो अधिनियम की धारा 8(3)(क) के दायरे और क्षेत्र में भी आती हैं। वे इस प्रकार हैं:

(क) रि.या. (आप.) 1342/2020 याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम के तहत दिनांक 19.08.2020 और 22.08.2020 को जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया;

(ख) रि.या.(सि.) 11256/2022 याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित अनंतिम कुर्की आदेश सं. 10/2021 के खिलाफ दायर किया गया;

(ग) रि.या. (आप.) 233/2021 याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई जिसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को अपास्त करने और भरोसेमंद दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी; और

(घ) रि.या. (आप.) 96/2022 आर.पी. गोयल द्वारा दायर किया गया जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 10.02.2022 के अपने आदेश द्वारा प्रतिदावा सं. 01/2020 के विचारण पर रोक लगा दी।

20. उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 8(3)(क) की स्पष्ट भाषा के आलोक में, उपरोक्त सहित सभी प्रकार की कार्यवाही से जब्ती का विस्तार होगा। *बबीता लीला बनाम भारत संघ,* (2016) 9 एस.सी.सी. 647 में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले में अनुबंधित विषय की कोई उपधारणा मौजूद नहीं है और न्यायालय को विधि में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि अधिनियम की धारा 8(3)(क) है, ताकि इसके दायरे और क्षेत्र को सीमित किया जा सके।

21. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, और उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर रि.या.(आप.) सं. 1342/2020, *महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य* में दिनांक 28.08.2020 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अंतरिम आदेश आज तक जारी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी की शक्ति जांच की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा है और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से प्रत्यर्थीगण को रोकने वाला उपरोक्त आदेश अधिनियम की धारा 8(3) के स्पष्टीकरण के दायरे में आएगा, जिससे अधिनियम की धारा 8(3)(क) के तहत प्रदान की गई जांच की अवधि 365 दिनों तक बढ़ जाएगी। समर्थन में, उन्होंने ***पी.चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** (2019) 9 एस.सी.सी. 24 में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर और ***सुजीत भाटी बनाम राज्य,*** तटस्थ उद्धरण संख्या 2023/डीएचसी/000597 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किए हैं।

22. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित कोई प्रपीड़क आदेश का सामना नहीं करते हुए, प्रत्यर्थीगण ने अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर नहीं की है। ***राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया,*** (1988) 4 एस.सी.सी. 284; ***भारत दामोदर काले बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,*** (2003) 8 एस.सी.सी. 559; और वि.अनु.या. (आप.) 8939/2023 शीर्षक ***वी. सेंथिल बालाजी बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** में दिनांक 07.08.2023 को पारित आदेश पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह सुस्थापित है कि न्यायालय की कार्रवाई से किसी व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता है।

23. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, किसी भी मामले में, धारा 8(3)(क) 365 दिनों की अवधि समाप्त होने पर किसी भी परिणाम का प्रावधान नहीं करती है

क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि जब्ती का आदेश उसके बाद समाप्त हो जाएगा या जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्ति को उस व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए जिससे इसे जब्त किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति में, वर्तमान याचिका खारिज होने योग्य है।

__विश्लेषण और निष्कर्ष__

24. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

25. वर्तमान मामले में मुद्दा अधिनियम की धारा 8(3)(क) में 'अदालत के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही' शब्दों के लिए निर्धारित किया जाने वाला अर्थ है। जबकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इन शब्दों को संकीर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि केवल उस शिकायत का अर्थ हो जो उस व्यक्ति को आकर्षित करता है जिससे दस्तावेज या संपत्ति को अभियुक्त के रूप में जब्त किया गया है या ऐसे दस्तावेजों या संपत्ति का उल्लेख करता है जैसा कि इस तरह की शिकायत में भरोसा किया गया है, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन शब्दों को प्रतिबंधित अर्थ देने का कोई कारण नहीं है और इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कोई भी कार्यवाही उस अवधि को बढ़ाने के

लिए पर्याप्त होगी जिसके द्वारा जब्त या जब्त की गई संपत्ति को बनाए रखा जा सकता है।

26. उपरोक्त प्रस्तुतियों को समझने के लिए, अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर विचार करना महत्वपूर्ण हो सकता है।

27. अधिनियम की धारा 3 में धन-शोधन के अपराध को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 5 में धन-शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 1 प्रासंगिक है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"5. **धन-शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की.** - (1) जहां निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप-निदेशक के रैंक से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (इस तरह के विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना है), कि -*
> *(क) किसी भी व्यक्ति के पास अपराध से प्राप्त आय पर अधिकार है; और*
> *(ख) अपराध से प्राप्त ऐसी आय को छिपाए जाने, अन्तरित किए जाने या किसी ऐसी रीति से व्यापार किए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकरण के अधीन अपराध से प्राप्त ऐसी आय की जब्ती से संबंधित कोई कार्यवाही विफल हो सकती है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी सम्पत्ति को, आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अनंतिम रूप से कुर्की कर सकता है।*
>
> *परन्तु कुर्की का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अनुसूचित अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं भेज दी गई हो या उस*

अनुसूची में उल्लिखित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के वाले मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष, जैसा भी मामला हो, शिकायत दर्ज नहीं की गई हो, या किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत ऐसी ही रिपोर्ट या शिकायत की गई हो या दायर की गई हो:

परन्तु यह और कि, प्रथम परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति इस धारा के अधीन कुर्क की जा सकेगी यदि निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत उप-निदेशक के रैंक से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे), कि यदि धन-शोधन में शामिल ऐसी संपत्ति को इस प्रकरण के अधीन तत्काल कुर्क नहीं किया जाता है, तो संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विफल होने की संभावना है::

परन्तु यह भी कि एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उस अवधि को, जिसके दौरान इस धारा के तहत कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है, बाहर रखा जाएगा और स्थगन आदेश की तारीख से तीस दिनों से अधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के विश्रामावकाश को स्थगन आदेश से गणना की जाएगी।"

28. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि संपत्ति की अनंतिम कुर्की का आदेश तभी दिया जा सकता है जहां यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध से प्राप्त कोई भी आय है और अपराध से प्राप्त ऐसी आय को किसी भी तरह से छिपाया, स्थानांतरित या किसी ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है जिससे *"अपराध से प्राप्त ऐसी आय की जब्ती से संबंधित कोई भी कार्यवाही"* विफल हो सकती है। अधिनियम की धारा 5(1)

के पहले परंतुक में कहा गया है कि कुर्की का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित अपराध के संबंध में, दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं भेजी गई हो, या अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई हो। इसलिए, संपत्ति की अनंतिम कुर्की का आदेश देने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट के रूप में कार्यवाही या किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत पहली आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 5(1) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि उपरोक्त पहली आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है यदि प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि यदि ऐसी संपत्ति को अधिनियम के तहत तुरंत कुर्क नहीं किया गया, तो संपत्ति की कुर्की न करने से *"इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही"* के विफल होने की संभावना है।

29. संपत्ति की अनंतिम कुर्की पर, अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार, इस तरह की कुर्की के तथ्यों को बताते हुए अधिनियम के तहत शिकायत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष दायर की जानी चाहिए।

30. अधिनियम की धारा 17 सक्षम अधिकारी को तलाशी लेने और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है। जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति की

जब्ती व्यवहार्य नहीं है, वहां ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया जा सकता है। धारा 17 की उप-धारा 4 के अनुसार, जहां संपत्ति जब्त कर ली जाती है या रोक लगा दी जाती है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर की जाती है जिसमें धारा 17 की उप-धारा 1 के तहत जब्त किए गए ऐसे अभिलेख या संपत्ति को रखने या अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 1-क के तहत ऐसी संपत्ति पर रोक लगाने के आदेश को जारी रखने का अनुरोध किया जाना है। अधिनियम की धारा 17 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

*"17. **तलाशी और जब्ती.** —(1) जहाँ निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत उप-निदेशक के रैंक से नीचे का न हो, उसके पास अपने कब्जे में जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास करने के कारण को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि कोई भी व्यक्ति—*

(i) कोई ऐसा कार्य किया है जो धन-शोधन सृजित करता है, या
(ii) धन-शोधन में शामिल अपराध से प्राप्त किसी भी आय पर कब्ज़ा है, या
(iii) धन-शोधन से संबंधित कोई भी अभिलेख कब्जे में है, या
***(iv)** अपराध से संबंधित किसी भी संपत्ति पर कब्ज़ा है, तो इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वह—*
(क) किसी भी इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान में प्रवेश करें और तलाशी लें, जहां उसे संदेह करने का कारण है कि इस तरह के अभिलेख या अपराध से प्राप्त आय रखी गई है;
(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी दरवाजे, डिब्बे, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ सकता है, जिसकी चाबी उपलब्ध नहीं है;

(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी अभिलेख या संपत्ति को जब्त कर सकता है;

(घ) यदि आवश्यक हो तो ऐसे अभिलेख या संपत्ति पर पहचान के निशान लगाएँ या उससे निष्कर्ष या प्रतियाँ बनाएँ या बनवाएँ;

(ङ) ऐसे अभिलेख या संपत्ति का नोट या सूची बनाएँ;

(च) इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सभी मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति की शपथ की जांच करें, जिसके कब्जे या नियंत्रण कोई भी अभिलेख या संपत्ति पाया जाता है:

(1क) जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है, जिसके बाद संपत्ति को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा उससे संबंधित कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति से, और इस तरह के आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी:

बशर्ते कि यदि किसी भी समय, धारा 8 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) या खंड 58ख या धारा 60 की उप-धारा (2क) के तहत इसकी जब्ती से पहले, किसी जब्त, रोक लगाई गई संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक हो जाता है, तो उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी, तलाशी और जब्ती के तुरन्त बाद या रोक लगाने के आदेश जारी किए जाने पर, इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे में सामग्री सहित, एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, ऐसी रीति से भेजेगा, जैसा विहित किया जा सकता है और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे कारणों और सामग्री को इतनी अवधि के लिए अपने पास रखेगा, जैसा विहित किया जा सकता है।

(3) जहां कोई प्राधिकारी, धारा 16 के तहत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होता है कि किसी भी साक्ष्य को छुपाया जा सकता है या उसके साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, तो वह कारण को लेखबद्ध

करेंगे, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है जहां ऐसा साक्ष्य स्थित है और उस साक्ष्य को जब्त कर सकता है: बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत तलाशी के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करने वाला या उपधारा (1क) के अधीन किसी अभिलेख या संपत्ति को रोक लगाने वाला प्राधिकारी, ऐसी जब्ती या रोक लगाने से तीस दिन की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपधारा (1) के अधीन जब्त ऐसे अभिलेख या संपत्ति को प्रतिधारण करने या उपधारा (1क) के अधीन रोक लगाने के आदेश को जारी रखने का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर करेगा।"

31. इसी तरह की किसी व्यक्ति की तलाशी की शक्ति अधिनियम की धारा 18 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास निहित है।

32. अधिनियम की धाराएँ 20 और 21 में अधिनियम की धारा 17 या धारा 18 के तहत जब्त या रोक लगाई गई संपत्ति और/या अभिलेख को प्रतिधारण करने का प्रावधान है। वे इस प्रकार हैं;-

*"**20. संपत्ति का प्रतिधारण.**—(1) जहाँ धारा 17 या धारा 18 के तहत किसी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है या धारा 17 की उप-धारा (1क) के तहत उस पर रोक लगाया गया है और इस संबंध में निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है) कि ऐसी संपत्ति को धारा 8 के तहत न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारण करने की आवश्यकता है, ऐसी संपत्ति को यदि जब्त की जाती है, प्रतिधारण किया जाता है या यदि रोक लगाया जाता है, तो उस दिन से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए रोक लगाना*

जारी रखा जा सकता है, जिस दिन ऐसी संपत्ति को जब्त या रोक लगाया गया था, जैसा भी मामला हो।

(2) निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 8 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए संपत्ति को प्रतिधारण करने या रोक लगाने को जारी रखने के लिए आदेश पारित करने के तुरंत पश्चात्, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, एक सीलबंद लिफाफे में, विहित तरीके से भेजेगा और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को विहित अवधि तक अपने पास रखेगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, संपत्ति उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिससे ऐसी संपत्ति जब्त की गई थी या जिसकी संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उक्त अवधि के बाद भी ऐसी संपत्ति को प्रतिधारण करने या रोक लगाना जारी रखने की अनुमति नहीं देता है।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसी संपत्ति को प्रतिधारण करने या रोक लगाने को जारी रखने को अधिकृत करने से पहले, खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा कि संपत्ति प्रथमदृष्टया धन-शोधन में शामिल है और धारा 8 के तहत न्यायनिर्णयन के उद्देश्यों के लिए संपत्ति की आवश्यकता है।

(5) धारा 8 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत जब्ती का आदेश पारित करने के बाद, विशेष न्यायालय धन-शोधन में शामिल संपत्ति के अलावा सभी संपत्तियों को उस व्यक्ति को जारी करने का निर्देश देगा जिससे ऐसी संपत्ति जब्त की गई थी या वे व्यक्ति जो इसे प्राप्त करने के हकदार हैं।

(6) जहां धारा 8 की उप-धारा (6) के तहत विशेष न्यायालय द्वारा या धारा 58 ख या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा संपत्ति को छोड़ देने का आदेश दिया गया है। धारा 60 की उप-धारा (2क), वहां निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की

तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के लिए ऐसी किसी भी संपत्ति को छोड़ देने को रोक सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के तहत अपील कार्यवाही के लिए प्रासंगिक है।

21. अभिलेखों का प्रतिधारण.— *(1) जहां धारा 17 या धारा 18 के अधीन कोई अभिलेख जब्त कर लिया गया है या धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन रोक दिया गया है और जांच अधिकारी या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे अभिलेखों में से किसी को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लिए रखा जाना अपेक्षित है, ऐसे अभिलेखों को यदि जब्त किया जाता है, प्रतिधारण किया जाता है या यदि रोक लगाया जाता है, तो उस दिन से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए रोक नहीं लगाया जा सकता है, जिस दिन ऐसे अभिलेख जब्त किए गए थे या रोके गए थे, जैसा भी मामला हो।*

(2) वह व्यक्ति, जिससे अभिलेख जब्त किए गए या रोक लगाए गए हैं, अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, अभिलेख उस व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे जिससे ये अभिलेख जब्त किए गए थे या जिनके अभिलेख को रोक लगाए जाने का आदेश दिया गया था, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उक्त अवधि से आगे ऐसे अभिलेख को प्रतिधारण करने या रोक लगाने की अनुमति नहीं देता है।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे अभिलेखों को प्रतिधारण करने या रोक लगाए जाने को जारी रखने को प्राधिकृत करने से पहले, स्वयं को संतुष्ट करेगा कि अभिलेख धारा 8 के तहत न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

(5) धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन जब्ती या छोड़ने का आदेश पारित करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिलेखों को उस व्यक्ति को दे देने का निर्देश देगा जिससे ऐसे अभिलेख जब्त किए गए थे।

(6) जहां न्यायालय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 21 की उप-धारा (5) के तहत अभिलेख छोड़ने का आदेश दिया गया है, वहां निदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के लिए ऐसे अभिलेख को छोड़ने से रोक सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसा अभिलेख इस अधिनियम के तहत अपील कार्यवाही के लिए प्रासंगिक है।

33. अधिनियम की धारा 8 न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ धारा 5 की उप-धारा 5 के तहत प्राप्त शिकायत या अधिनियम की धारा 17(4) या 18(10) के तहत आवेदन पर संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 8 निम्नानुसार है:-

*"**8. न्यायनिर्णयन.**—(1) धारा 5 की उपधारा (5) के तहत या धारा 17 की उपधारा (4) के तहत या धारा 18 की उपधारा (10) के तहत किए गए आवेदनों की प्राप्ति पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 3 के तहत अपराध किया है या अपराध से प्राप्त आय उसके कब्जे में है, तो वह ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीस दिन का नोटिस दे सकता है, जिसमें उससे उसकी आय, कमाई या परिसंपत्तियों के स्रोत को बताने को कहा जाएगा, या धारा 17 या धारा 18 के अधीन जब्त या रोक लगाई गई संपत्ति, वह साक्ष्य जिस पर वह भरोसा करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण, और कारण बताने को कहा जाएगा कि ऐसी सभी या किसी संपत्ति को धन-शोधन में शामिल संपत्ति क्यों न घोषित किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा जब्त क्यों न कर लिया जाए:*

बशर्ते कि जहां इस उपधारा के तहत नोटिस में किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा धारित के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी: परंतु यह और कि जहां ऐसी संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप

से धारित की गई है वहां ऐसी संपत्ति धारण करने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसी सूचना तामील की जाएगी।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, - (क) उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस का उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद;

(ख) पीड़ित व्यक्ति और निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की सुनवाई करना; और

(ग) उसके समक्ष अभिलेख पर रखी गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या उपधारा (1) के अधीन जारी की गई नोटिस में निर्दिष्ट सभी या कोई सम्पत्ति धन-शोधन में शामिल हैं: परन्तु यदि संपत्ति का दावा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसे नोटिस जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति को यह साबित करने के लिए सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा कि उसकी संपत्ति धन-शोधन में शामिल नहीं है।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के तहत यह विनिश्चय करता है कि कोई संपत्ति धन-शोधन में शामिल है वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की गई संपत्ति की कुर्की या धारा 17 या धारा 18 के तहत जब्त या रोक लगाई गई संपत्ति या अभिलेख के प्रतिधारण की पुष्टि करेगा और इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, जिसके बाद जब्त या रोक लगाई गई संपत्ति या अभिलेख की कुर्की, प्रतिधारण या रोक लगाई जाएगी-

(क) नब्बे दिनों से अधिक की अवधि के लिए या इस अधिनियम के तहत किसी अदालत के समक्ष किसी अपराध से संबंधित कार्यवाही लंबित रहने के दौरान या किसी अन्य देश के तत्स्थानी विधि के तहत, भारत के बाहर आपराधिक अधिकार क्षेत्र के सक्षम अदालत के समक्ष, जैसा भी मामला हो जारी रहेगा; और

(ख) विशेष न्यायालय द्वारा धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के तहत जब्ती का आदेश पारित किए जाने के पश्चात् अंतिम हो जाता है।

(4) जहां धारा 5 की उपधारा (1) के तहत किए गए कुर्की के अनंतिम आदेश की पुष्टि उपधारा (3) के तहत की गई है, वहां निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी धारा 5 के तहत कुर्क की गई या धारा 17 की उपधारा (1क) के तहत जब्त की गई संपत्ति को तुरंत उस तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा जैसा विहित किया जाए: परन्तु यदि धारा 17 की उपधारा (1क) के तहत जब्त की गई संपत्ति का कब्जा लेना व्यवहार्य नहीं है, तो जब्त करने के आदेश का वही प्रभाव होगा मानो संपत्ति का कब्जा ले लिया गया हो।

(5) जहां इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के विचारण की समाप्ति पर, विशेष न्यायालय को पता चलता है कि धन-शोधन का अपराध किया गया है, वह आदेश देगा कि धन-शोधन में शामिल ऐसी संपत्ति या जिसका उपयोग धन-शोधन के अपराध के लिए किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाए।

(6) जहां इस अधिनियम के तहत विचारण की समाप्ति पर, विशेष अदालत को पता चलता है कि धन-शोधन का अपराध नहीं हुआ है या संपत्ति धन-शोधन में शामिल नहीं है, तो वह ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को देने का आदेश देगी।

(7) जहां इस अधिनियम के तहत विचारण अभियुक्त की मृत्यु के कारण या अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से चलाया नहीं जा सका या शुरू किया गया, लेकिन समाप्ति नहीं किया जा सका, विशेष न्यायालय निदेशक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर, जो किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करता है, जिसके संबंध में धारा 8 की उपधारा (3) के तहत आदेश पारित किया गया है, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात, धन-शोधन के अपराध में शामिल संपत्ति को, जैसा भी मामला हो, जब्त करने या छोड़ने के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) जहां कोई संपत्ति उप-धारा (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है, वहां विशेष न्यायालय, ऐसी तरीके से जैसा कि विहित किया जा सकता है, केंद्र सरकार को ऐसी जब्त की गई संपत्ति या संपत्ति में वैध हित वाले दावेदार के हिस्से को वापस करने का भी निर्देश दे सकता है,

जिसे धन-शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप मात्रात्मक नुकसान हुआ होगाः

बशर्ते कि विशेष न्यायालय ऐसे दावे पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि दावेदार ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है और सभी उचित सावधानियां बरतने के बावजूद उसे नुकसान हुआ है और वह धन-शोधन के अपराध में शामिल नहीं है:

परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो मामले के विचारण के दौरान ऐसी संपत्तियों की वापसी के प्रयोजनों के लिए दावेदार के दावे पर ऐसी रीति से विचार कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है।"

34. उपरोक्त धारा के पठन से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के संदर्भ में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह घोषणा करते हुए एक आदेश पारित कर सकता है कि अधिनियम की धारा 5(1) के तहत कुर्क की गई या धारा 17 या 18 के तहत जब्त या रोक लगाई गई संपत्ति धन-शोधन में शामिल है और ऐसी संपत्ति की कुर्की या ऐसी जब्त या रोक लगाई गई संपत्ति या अभिलेख के प्रतिधारण की पुष्टि कर सकता है। विशेष न्यायालय द्वारा धारा 8 की उपधारा 5 या उपधारा 7 या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा 2क के तहत जब्ती का आदेश पारित किए जाने के बाद ऐसा आदेश अंतिम हो जाता है। धारा 8 की उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि जहां विशेष न्यायालय को पता चलता है कि धन-शोधन का अपराध किया गया है, वह धन-शोधन में शामिल संपत्ति या जिसका उपयोग धन-शोधन के अपराध के लिए किया गया है, उसे केंद्र सरकार को जब्त करने का आदेश देगा। धारा 8 की उपधारा 7 में कहा गया है कि विशेष न्यायालय, यदि उसकी राय है कि अधिनियम के तहत विचारण अभियुक्त की मृत्यु के कारण या अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किए जाने या अन्य कारणों से, उस संपत्ति की जब्ती या छोड़ने के संबंध में एक उचित आदेश पारित कर सकता है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा

3 के तहत आदेश पारित किया गया है। इसी तरह, किसी अन्य देश के तत्स्थानी विधि के तहत विचारण के संबंध में अधिनियम की धारा 58ख और धारा 60 (2क) के तहत प्रावधान किए गए हैं।

35. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि संपत्तियों और अभिलेखों की कुर्की, जब्ती और रोक लगाने की शक्तियां विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर अंतिम हो जाती हैं। इसलिए अधिनियम की धारा 8(3)(क) में उल्लिखित *'इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही'* शब्दों को उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ केवल ऐसी कार्यवाही से है जो संपत्ति या अभिलेख के संबंध में विशेष अदालत के समक्ष लंबित है जो इस तरह से कुर्क या जब्त या रोक लगाए गए हैं या उस व्यक्ति से संबंधित है जिससे ऐसी संपत्ति जब्त या बरामद की गई थी। अधिनियम के प्रावधानों को यथोचित रूप से और अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से पठन किया जाना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि संपत्तियों और अभिलेखों को कुर्क करने, जब्त करने और रोक लगाने की शक्ति एक कठोर प्रावधान है जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में ***राधा कृष्णन उद्योग बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य,*** (2021) 6 एस.सी.सी. 771 का का संदर्भ दिया गया है।

36. वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 को पारित आदेश याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्तियों को आगे प्रतिधारण करने की अनुमति देता है, जो निम्नानुसार है:

"शिकायत में सामने आए मामले के तथ्यों, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष बाद की कार्यवाही का अवलोकन और पूर्ववर्ती पैरा का विवेचन के बाद, मैंने पाया कि धारा 17, 8(1), 20, 21 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

1. इस मोड़ पर जांच का हित देखने की आवश्यकता है, जहां धन-शोधन के अपराध के संबंध में प्रथमदृष्टया आरोप मौजूद हैं। मूल आवेदन में बताई गई पृष्ठभूमि पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि अनुसूचित अपराध किए गए हैं और अपराध से प्राप्त आय शामिल है। धन-शोधन की जांच चल रही है। निस्संदेह अपराध से प्राप्त आय और धन-शोधन के बारे में जांच जारी रखने की आवश्यकता है। दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरणों को प्रतिधारण करने की अनुमति देने न्यायोचित है। इस चरण में जांच के हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को प्रतिधारण करने की अनुमति देने के लिए मूल आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए और इसकी अनुमति दी गई है। मूल आवेदन में दी गई सामग्री इस प्राधिकारी को इस संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि पी.एम.एल.ए. की धारा 8 के तहत न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता है।

2. वर्तमान में कार्यवाही मूल आवेदन के तहत हुई है, जिसमें जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चल रहे जांच/और न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से प्रतिधारण करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक इस आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादीगण के किसी भी महत्वपूर्ण अधिकार को प्रभावित करता है, जैसे कि प्रतिवादीगण की संपत्तियों को कुर्क करना और/या जब्त करना। आवेदन केवल दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों को प्रतिधारण करने के लिए है, ताकि पी.एम.एल.ए. अपराध की जांच और न्यायनिर्णयन बिना किसी बाधा के की जा सके।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, न्याय के हित में, आवेदक, प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को अनुमति है और उन्हें पी.एम.एल.ए. की धारा 17(4) के संदर्भ में, इस आदेश के पृष्ठ संख्या 4-8 में उल्लिखित प्रत्यर्थीगण के निवास और कार्यालय परिसर से दिनांक 19.08.2020 के

पंचनामा के द्वारा जब्त/बरामद किए गए अभिलेख/डिजिटल उपकरणों को रखने की अनुमति है।

4. इसलिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है।"

XXXX

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रतिवादियों के अनुरोध पर कि पहले घोषणा के लिए एक उपयुक्त तिथि दी जाए और दूसरी कानूनी सीमा को ध्यान में रखते हुए आदेश की घोषणा को 08.02.2021 के बाद लंबित नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा यह आदेश जो केवल गंभीर आर्थिक अपराधों की पृष्ठभूमि में जांच करने के उद्देश्य से जब्त की गई वस्तुओं को प्रतिधारण करने की अनुमति देने के लिए है और इस स्तर पर प्रत्यर्थीगण के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आदेश जो रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन है, आज खुली अदालत में घोषणा के वाद सूची अनुसार घोषित की जाती है।"

(जोर दिया गया)

37. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जांच/न्यायनिर्णयन के उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों और संपत्तियों को प्रतिधारण करने की अनुमति दी गई है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 8(3)(क) के अनुसार 365 दिनों की अवधि के लिए विस्तारित होगा, जब तक कि अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित कोई कार्यवाही उससे पहले दायर नहीं की गई हो। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही का अर्थ संपत्ति या अभिलेख के संबंध में विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की गई कार्यवाही है, जिसे इस प्रकार कुर्क, जब्त या रोक लगाया गया है।

38. प्रत्यर्थीगण द्वारा यह विवादित नहीं है कि शिकायत, प्रतिदावा सं. 01/2020, विद्वान विशेष न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू न्यायालय के समक्ष लंबित है, उस याचिका में याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है। वास्तव में, इन्होंने याचिकाकर्ता को गवाहों में से एक गवाह के रूप में नामित किया है। इसमें याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेजों या संपत्ति का भी उल्लेख नहीं है। उक्त शिकायत पर संज्ञान विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.01.2020 के आदेश द्वारा लिया गया, जो कि याचिकाकर्ता से दस्तावेजों और संपत्ति की जब्ती से पहले का है, हालांकि प्रत्यर्थीगण को सम्यक अनुक्रम में और आगे की जांच के बाद आगे पूरक शिकायतें दर्ज करने की अनुमति दी गई।

39. हालाँकि, विधि के प्रतिपादना पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संज्ञान किसी अपराध का लिया जाता है न कि किसी अपराधी का, हालाँकि, अधिनियम की धारा 8(3)(क) के तहत, "कार्यवाही" उस संपत्ति या रिकॉर्ड के संबंध में होनी चाहिए जिसे अधिनियम की धारा 17 के तहत जब्त किया जाता है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपादित अधिनियम की धारा 8(3)(क) की व्याख्या, वह वास्तव में उक्त प्रावधान को जब्तीकारी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी बनाती है, क्योंकि यह ज़ब्त को अंतहीन रूप से जारी रखने की अनुमति देती है, भले ही यह उसी प्रावधान द्वारा निर्धारित

365 दिनों की अवधि के भीतर किसी "अदालत के समक्ष अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही" में परिणत नहीं होता है।

40. ***सीमा गर्ग*** (पूर्वोक्त) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसी तरह की परिस्थितियों में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"25. वैट रिफंड का धोखाधड़ी से लाभ उठाने का कथित अपराध फरवरी-मार्च 2013 में किया गया था और पी.एम.एल.ए. 1.7.2005 से लागू हुआ है। अनुसूचित अपराध की प्राथमिकी, ई.सी.आई.आर. और प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार, रमन गर्ग की स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स जलधारा एक्सपोर्ट्स ने माल के वास्तविक निर्यात के बिना वैट अधिकारियों से धोखाधड़ी से वैट रिफंड प्राप्त किया। प्रश्नगत संपत्तियां 2009 से बैंक के पास गिरवी पड़ी हैं। आक्षेपित आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी को किसी भी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार है, इस प्रकार संपत्ति भले ही 1991 में खरीदी गई हो, उसे कुर्क किया जा सकता है। माना कि अपीलकर्तागण को न तो अनुसूचित अपराध में अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया है और न ही पी.एम.एल.ए. के तहत विशेष अदालत के समक्ष आपराधिक शिकायत दायर की गई है। प्रत्यर्थी ने पहले ही विशेष अदालत के समक्ष रमन गर्ग और अन्य के खिलाफ पी.एम.एल.ए. के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की है, हालांकि जांच अभी भी लंबित है। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्तागण के खिलाफ पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की है और विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित पुष्टि आदेश की तारीख से 365 दिनों की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।*
>
> ***XXXXX***
>
> *27. प्र. (i). पी.एम.एल.ए. की धारा 8 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अनुसार, अनंतिम कुर्की जांच के दौरान 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जारी रहेगी। 2019 के संशोधन अधिनियम 7 के अनुसार 90 दिनों की*

उपरोक्त अवधि को 01.08.2019 से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। जाँच के दौरान 90 दिनों की अवधि की अवधारणा 19.04.2018 से शुरू की गई थी। वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 28.05.2018 (अनुलग्नक क-3) के आदेश के द्वारा अनंतिम कुर्की की पुष्टि की जिसमें यह आदेश दिया गया था कि कुर्की 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जांच के दौरान जारी रहेगी।

28. प्रत्यर्थी ने अभिवाक दी कि जांच के दौरान 90 दिनों की अवधि निर्धारित करने वाला संशोधन 19.04.2018 से लागू हुआ और पी.एम.एल.ए. की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत 22.12.2017 को विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी, इस प्रकार अपीलकर्तागण 19.04.2018 से किए गए संशोधन के लाभ के हकदार नहीं हैं। न्यायनिर्णयन आदेश में यह आदेश दिया गया था कि जांच के दौरान कुर्की जारी रहेगी और इसकी अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी। यह अपीलकर्ता ही था जिसने अधिकरण के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी थी, इस प्रकार प्रत्यर्थी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विपरीत कोई अभिवाक नहीं दे सकता है, इस प्रकार प्रत्यर्थी का तर्क कि अपीलकर्ता संशोधित प्रावधान का हकदार नहीं है, गलत है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

29. प्रत्यर्थी ने अधिकरण के समक्ष अपने जवाब में और साथ ही इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान स्वीकार किया कि जांच अभी भी लंबित है और हालांकि शिकायत केवल रमन कुमार और अन्य के खिलाफ दायर की गई है, लेकिन वर्तमान अपीलकर्तागण के खिलाफ नहीं है। चूंकि रमन कुमार और अन्य के विरुद्ध जांच अभी भी लंबित है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने जांच के लंबित रहने के दौरान 90 दिनों तक कुर्की जारी रखने का आदेश दिया। अपीलकर्तागण को न तो पुलिस मामले (अनुसूचित अपराध से संबंधित प्राथमिकी) में अभियुक्त के रूप में और न ही विशेष अदालत के समक्ष दायर शिकायत में अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया था, इस प्रकार अपीलकर्ता पी.एम.एल.ए. की धारा 8(3)(क) द्वारा निर्धारित समय-सीमा का लाभ उठाने के हकदार हैं। धारा 8(3)(क) के तहत निर्धारित 90 दिनों की अवधि को 01.08.2019 से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया

<u>है। वर्तमान मामले में भी 365 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन जांच अभी भी लंबित है, इस प्रकार अपीलकर्ता 90/365 दिनों की सीमा के लाभ उठाने के हकदार हैं और विधि के प्रवतर्न से अनंतिम कुर्की आदेश समाप्त हो गया है।</u>

(जोर दिया गया)

41. वर्तमान मामले में भी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 को पारित आदेश में दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और संपत्ति का प्रतिधारण, 'जांच जारी रहने/न्यायनिर्णयन लेने के उद्देश्य से किया जाना है'। जांच किसी भी शिकायत में परिणत नहीं हुई है और न ही यह बी.पी.एस.एल. और अन्य के खिलाफ दायर मूल शिकायत के पूरक शिकायत में परिणत हुई है।

42. अधिनियम की धारा 44 के स्पष्टीकरण (ii) में कहा गया है कि शिकायत को आगे की जांच के संबंध में किसी भी आगामी शिकायत को शामिल माना जाएगा जो "अपराध के संबंध में शामिल किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई और सबूत, मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए" की जा सकती है, जिसके लिए शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है, चाहे मूल शिकायत में नामित हो या नहीं। उक्त प्रावधान से भी, यह स्पष्ट है कि जांच से जब्त दस्तावेजों और अभिलेखों के रूप में और साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने के लिए बाद की शिकायत दर्ज की जा सकती है, या तो मूल शिकायत में नामित अभियुक्त के खिलाफ या उसके बाद। हालांकि, जब तक ऐसी पूरक शिकायत दर्ज

नहीं की जाती है, तब तक यह माना जाना चाहिए कि जांच अभी भी लंबित है, और ऐसी स्थिति में, जब्त की गई संपत्ति/दस्तावेजों को प्रतिधारण करने के लिए 365 दिनों की बाहरी सीमा लागू रहेगी।

43. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 को आदेश पारित होने के 365 दिनों की अवधि के बाद, 19 और 20 अगस्त, 2020 को याचिकाकर्ता के परिसरों में की गई तलाशी और जब्ती में याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेज/डिजिटल उपकरण/संपत्ति को वापस किया जाना चाहिए।

44. अन्य कार्यवाहियाँ जो लंबित हैं और जिन पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, अर्थात् रि.या. (आप.) 1342/2020, रि.या. (सि.) 11256/2022, रि.या. (आप.) 233/2021 और/या रि.या. (आप.) 96/2022, हैं, जो अधिनियम की धारा 8(3)(क) में "न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने" अभिव्यक्ति के दायरे और क्षेत्र में भी नहीं आता है।

45. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम के तहत जारी किए गए दिनांक 19.08.2020 और 22.08.2020 के समन को चुनौती देने वाली याचिका का संबंध है, अर्थात रि.या.(आप.) 1342/2020, शीर्षक *महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम भारत संघ और अन्य,* यह जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्ति के प्रतिधारण की अवधि बढ़ाने के लिए प्रत्यर्थी की सहायता नहीं कर सकता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, "न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही का लंबित रहना" अभिव्यक्ति विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित शिकायत से संबंधित है। यह अभिनिर्धारित करना कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए दायर रिट याचिका, और जिस चुनौती पर अदालत द्वारा जांच पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उस अवधि को भी बढ़ाएगा जिसके द्वारा जब्त की गई संपत्ति को प्रत्यर्थी द्वारा रखा जा सकता है, अधिनियम की धारा 8(3) के मूल पाठ के विपरीत होगा। यह याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी के कथित अवैध कार्य के खिलाफ कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए दंडित करने जैसा होगा।

46. यही तर्क याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर भी लागू होता है जिसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को अपास्त करने और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो रि.या. (आप.) 233/2021, शीर्षक ***महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम भारत संघ और अन्य*** में भी है। यह नहीं दर्शाया गया है कि उक्त याचिका पर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित किया गया है। उक्त रिट याचिका पुनः "इस अधिनियम के तहत किसी अपराध से संबंधित कार्यवाही का न्यायालय में लंबित रहना" अभिव्यक्ति के दायरे और क्षेत्र में नहीं आ सकती है।

47. जहाँ तक रि.या.(सि.) 11256/2022, जिसका शीर्षक ***महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय***, का संबंध है, याचिकाकर्ता, उक्त रिट याचिका द्वारा, दावा करता है कि अधिनियम की धारा 5 के तहत संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के आदेश के पारित होने से 180 दिन बीत जाने के बाद, कुर्की समाप्त हो गई है। उक्त याचिका में, दिनांक 28.07.2022 को *अंतरिम* आदेश पारित किया गया, जो निम्नानुसार है:

> *"3. सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक, प्रत्यर्थी को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8 के तहत आगे कदम उठाने से रोका जाता है। याचिकाकर्ता को किसी भी तीसरे पक्षकार के अधिकारों का निपटान करने या निर्माण करने या संपत्ति को ऋणग्रस्त करने से भी रोका जाता है जो कुर्की के अनंतिम आदेश की विषय-वस्तु है।"*

48. मुझे सूचित किया गया है कि उपरोक्त आदेश आज तक जारी है।

49. हालांकि, तथ्य यह है कि उपरोक्त रिट याचिका दस्तावेजों और संपत्ति की जब्ती से संबंधित नहीं है। यदि उपरोक्त रिट याचिका 19-20.08.2020 को की गई कार्रवाई और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 को पारित आदेश के अनुसार जब्त किए गए किसी भी दस्तावेज या संपत्ति से संबंधित है, तो वर्तमान में पारित आदेश उपर उल्लिखित *अंतरिम* आदेश के अधीन होगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 10.02.2021 के आदेश के तहत जब्ती को बढ़ाने के उद्देश्यों के लिए, उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने से प्रत्यर्थी को कोई लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि उक्त रिट याचिका "अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में लंबित कार्यवाही" नहीं है, बल्कि अधिनियम के तहत पारित आदेश को चुनौती देने के लिए है। इस रिट याचिका के लिए ऊपर दिए गए कारण भी है।

50. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का अधिनियम की धारा 8(3) से जुड़े स्पष्टीकरण पर भरोसा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि किसी संदिग्ध/अभियुक्त की गिरफ्तारी जाँच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, हालाँकि, इस अदालत द्वारा रि.या. (आप.) 1342/2020, में दिनांक 28.08.2020 को पारित आदेश केवल प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकता है। अधिनियम की धारा 8(3) का स्पष्टीकरण केवल तभी लागू होता है जब "किसी भी न्यायालय द्वारा जांच पर रोक लगा दी जाती है"। रि.या. (आप.) 1342/2020 में दिनांक 28.08.2020 को पारित आदेश को जाँच पर रोक लगाने वाला आदेश नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अधिनियम की धारा 8(3) का स्पष्टीकरण वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं है और याचिकाकर्ता के जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्ति के प्रतिधारण की अवधि को बढ़ा नहीं सकता है। यदि प्रत्यर्थीगण याचिकाकर्ता की हिरासत में जांच/गिरफ्तारी करना चाहते हैं, तो प्रत्यर्थी के लिए उक्त रिट याचिका में इस संबंध में एक उचित आवेदन दायर करने के लिए खुला था। प्रत्यर्थीगण ने, निश्चित रूप से, ऐसा नहीं किया।

51. प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि चूँकि अधिनियम की धारा 8(3)(क) 365 दिन बीत जाने के बाद के परिणाम के लिए का प्रावधान नहीं करती है, इसलिए जब्त की गई संपत्ति की वापसी के लिए कोई निर्देश नहीं हो सकता है, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के

अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय के समक्ष या भारत से बाहर आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी अन्य देश के तत्स्थानी विधि के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित होने की अनुपस्थिति में 365 दिनों से अधिक ऐसी जब्ती को बिना किसी विधि प्राधिकार जारी रखना प्रकृति में जब्ती होगी, और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 300क का उल्लंघन है। इस संबंध में, ***एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ*** और अन्य, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 648 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> *"**107.** संविधान के अनुच्छेद 300क में प्रावधान है कि किसी को भी विधि द्वारा विहित तरीके से संपत्ति और निवास के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जब संविधि कोई तरीका निर्धारित करता है, तो अन्य तरीकों से संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय ने समिति को मामले में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। अतः न्यायालय में संदर्भित निर्णयों में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती है जैसे कि:*
>
> *(क) राजस्थान राज्य बनाम बसंत नाहटा, (2005) 12 एस.सी.सी. 77, जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की:*
>
> > *"**59.** ....<u>संसदीय या विधायी अधिनियम</u> में निहित किसी भी मूल प्रावधान के अभाव में, उसे अपनी संपत्ति के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने से नहीं रोका जा सकता है। इस तरह का वैधानिक हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 300-क के तहत परिकल्पित संपत्ति के अधिकार के खिलाफ होगा।"*

(ख) के.टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 9 एस.सी.सी. 1 जिसमें यह राय दी गई थी:

"168. अनुच्छेद 300-क घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को केवल कार्यकारी आदेश द्वारा, किसी विशिष्ट विधिक प्राधिकार या किसी सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के समर्थन के बिना, केवल कार्यकारी आदेश द्वारा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 300-क में "संपत्ति" अभिव्यक्ति केवल भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसमें कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा जैसे अमूर्त शामिल हैं और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हर संभव हित को शामिल किया गया है।

169. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम विष्णुनारायण एंड एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड में यह न्यायालय ने पश्चिम बंगाल ग्रेट ईस्टर्न होटल (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों की जांच करते हुए अनुच्छेद 300-क के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया कि राज्य या कार्यपालक अधिकारी दूसरों के अधिकार में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे कानून के विशिष्ट प्रावधानों को इंगित नहीं कर सकते जो उनके अधिकारों को अधिकृत करते हैं।"

(जोर दिया गया)

(ग) टी. विजयलक्ष्मी बनाम नगर नियोजन सदस्य, (2006) 8 एस.सी.सी. 502 में न्यायालय ने कहा कि:

"13. नगर नियोजन कानून प्रकृति में विनियामक होते हैं। किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में भवन निर्माण का अधिकार शामिल है। हालाँकि, इस तरह के अधिकार को कानून के कारण प्रतिबंधित किया जा सकता है। कर्नाटक नगर और ग्राम नियोजन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, एक व्यापक

विकास योजना तैयार की गई थी। यह निर्विवाद रूप से अभी भी लागू है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उक्त व्यापक विकास योजना में संशोधन अंततः राज्य द्वारा स्वीकार किए जाएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। अभी इस पर विचार करना बाकी है। विकास योजना में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राज्य ने नागरिकों से असम्मति मांगी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और अदालतों को अधिनियम की व्याख्या करते समय इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन पारिस्थितिक पहलू, यह साधारण है, आम तौर पर नगर नियोजन कानून का एक हिस्सा है। यदि स्वयं विधान में या क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में, भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो राज्य और प्राधिकरण को इसके लिए दोषी माना जाना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि मामले के इन पहलुओं को प्राधिकरण और राज्य द्वारा ध्यान में रखा गया था। लेकिन जब तक कानून में उचित संशोधन लागू नहीं किया जाता है, तब तक पक्षकारगण के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

* * *

15. इस संबंध में कानून स्पष्ट है। आवासीय क्षेत्र में आवासीय घर बनाने का व्यक्ति का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है। उक्त अधिकार को केवल विनियामक संविधि के रूप में विनियमित किया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है, तब तक उसे वापस नहीं लिया जा सकता है...."

(जोर दिया गया)

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोहर, (2005) 2 एस.सी.सी. 126, के मामले में इस न्यायालय ने कहा:

> "7. हमारा संवैधानिक लोकतंत्र है और नागरिकों को उपलब्ध अधिकार संविधान द्वारा घोषित किए गए हैं। यद्यपि अनुच्छेद 19(1)(च) को संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया, अनुच्छेद 300-ए को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:
>
> "300-क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाय—किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"
>
> 8. यह एक ऐसा मामला है जहां हम अपीलकर्तागण द्वारा प्रत्यर्थी को संपत्ति से वंचित करने के लिए विधिक प्राधिकार की पूर्ण कमी पाते हैं जो राज्य के अधिकारी हैं।..."

(ङ) दिल्ली एयरटेक सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 9 एस.सी.सी. 354, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "83. अभिव्यक्ति "विधि" जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 300-क दोनों में शामिल है, उसे एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों में विधि का अर्थ वैध रूप से अधिनियमित कानून होगा। वैध कानून होने के लिए इसे मेनका गांधी मामले में बताए गए अनुच्छेद 14 और 21 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। यह विशेष रूप से ऐसा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 और 300-क दोनों में "विधि" का उद्देश्य अधिकारों के हनन को रोकना है। जहाँ तक अनुच्छेद 21 का संबंध है, यह एक मौलिक अधिकार है

जबकि अनुच्छेद 300-क में यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसे मुलभुत मानव अधिकार का दर्जा दिया गया है।"

XXXX

(के) श्रीरामपुर नगर परिषद बनाम सत्यभामाबाई भीमाजी दावखेर, (2013) 5 एस.सी.सी. 627 में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"43. ...... यही कारण है कि भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 31(5) में और 1966 के अधिनियम की धारा 126 और 127 के तहत भी दस साल की समय-सीमा निर्धारित की गई है, इस शर्त के साथ कि यदि धारा 127 के तहत नोटिस की तामील के छह महीने के भीतर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है या अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो भूमि का आरक्षण समाप्त माना जाएगा। श्री नाफड़े की धारा 126 और 127 की योजना की व्याख्या, यदि स्वीकार की जाती है, तो बेतुके परिणाम सामने आएंगे और भूमि मालिक बिना मुआवजे के अनिश्चित काल के लिए संपत्ति का उपयोग करने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यह कानून की मंजूरी के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित करने के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन होगा।"

(जोर दिया गया)

52. इसलिए, अधिनियम की धारा 8(3) के संदर्भ में, अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही के परिणामस्वरूप तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए जांच का स्वाभाविक परिणाम यह है कि ऐसी जब्ती समाप्त हो जाती है और इस तरह से जब्त की गई संपत्ति को उस व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए जिससे इसे से जब्त किया गया था।

<u>दिशा-निर्देश:</u>

53. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थीगण को 19 और 20 अगस्त, 2020 को किए गए तलाशी और जब्ती अभियान में याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति और अन्य सामग्री को याचिकाकर्ता को तुरंत वापस करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि किसी भी सक्षम अदालत द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश न पारित किया गया हो।

54. उपरोक्त शर्तों के साथ याचिका स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

55. जुर्माना के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

नवीन चावला, न्या.

31 जनवरी, 2024
आर.एन./वी.पी./आर.पी./एस.एस.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*